माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

याचिका संख्या /2014

निम्नलिखित के विषय में:

सेवा-।। पावर स्टेशन के संबंध में 2009-14 की अवधि के लिए पूंजीगत व्यय को सही करने हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2014 के विनियम 6(2) और 9 के अंतर्गत याचिका ।

और

सेवा -।। पावर स्टेशन के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के निर्धारण हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2014 के विनियम 7(3) और 14(3) के अंतर्गत याचिका ।

याचिकाकर्ता:

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

प्रतिवादीगण :

1. अध्यक्ष,
   पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड **और 12 अन्य**
   दॅ माल, निकट कालीबाडी मंदिर,
   पटियाला - 147 001 (पंजाब)

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या	
1.	अनुक्रमणिका पृष्ठ	खंड ।	
2.	शपथ-पत्र		
3.	याचिका		
4.	**अनुबंध**		
अनुबंध-।	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 में यथाविनिर्धारित लेखा-परीक्षित फार्म-1 से फार्म 16		
अनुबंध-।।	वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-2012 और 2012-13 के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र	खंड । और ।।	
अनुबंध-।।।	याचिका सं. 57/2010 और दिनांक 22.09.2010 को इसके संशोधन में दिनांक 06.09.2010 का आदेश		
अनुबंध-।V	भारत सरकार के अनुमोदन के लिए विद्युत मंत्रालय का प्रस्तुत की गई परिसमापन लागत		
अनुबंध-V	21 फरवरी, 2014 को अधिसूचित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 में यथाविनिर्धारित लेखा-परीक्षित फार्म-1 से फार्म 16		
अनुबंध-V।	2014-15 के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु आवेदनपत्र के लिए शुल्कों के भुगतान के समर्थन में दिनांक 29.04.2014 का पत्र		
अनुबंध-V।।	2014-19 के दौरान अतिरिक्त व्यय के संबंध में दिनांक 17.07.2014 की निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति		

एनएचपीसी लिमिटेड

(ए.के. पांडे)
मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक)
के माध्यम से

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 13.08.2014

10 रुपए का भारतीय गैर-न्यायिक स्टांप पेपर

हरियाणा **34एए 265185**

<u>माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष</u>

याचिका संख्या /2014

निम्नलिखित के विषय में:

सेवा-।। पावर स्टेशन के संबंध में 2009-14 की अवधि के लिए पूंजीगत व्यय को सही करने हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2014 के विनियम 6(2) और 9 के अंतर्गत याचिका ।

और

सेवा-।। पावर स्टेशन के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के निर्धारण हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2014 के विनियम 7(3) और 14(3) के अंतर्गत याचिका ।

याचिकाकर्ता :

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

प्रतिवादीगण :

1. अध्यक्ष,
   पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड **और 12 अन्य**
   दॅ माल, निकट कालीबाडी मंदिर,
   पटियाला - 147 001 (पंजाब)

याचिका का सत्यापन करने के लिए शपथ-पत्र

मैं, ए.के. पांडे, सुपुत्र श्री पी.एन. पांडे, आयु 55 वर्ष, एनएचपीसी लिमिटेड में मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यरत, उपर्युक्त मामले में आवेदक, सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित प्रतिज्ञान और कथन करता हूं:

1. मैं एनएचपीसी लिमिटेड में मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक) के रूप में कार्यरत हूं और उपर्युक्त मामले के तथ्यों से भली भांति परिचित हूं।

2. इस याचिका में किए गए कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और उपलब्ध दस्तावेजों/अभिलेखों और/या प्रबंधन के अनुमोदन पर आधारित हैं।

13 अगस्त, 2014 को फरीदाबाद में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया कि उपर्युक्त शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है, इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और उसमें से कोई सारवान बात छिपाई नहीं गई है।

अभिसाक्षी

मेरे समक्ष शनाख्त की गई

<u>माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष</u>

याचिका संख्या /2014

निम्नलिखित के विषय में:

सेवा-।। पावर स्टेशन के संबंध में 2009-14 की अवधि के लिए पूंजीगत व्यय को सही करने हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2014 के विनियम 6(2) और 9 के अंतर्गत याचिका ।

और

सेवा-।। पावर स्टेशन के संबंध में 2014-19 की अवधि के लिए प्रशुल्क (टैरिफ) के निर्धारण हेतु केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन), विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियामवली, 2014 के विनियम 7(3) और 14(3) के अंतर्गत याचिका ।

याचिकाकर्ता :

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद - 121 003

प्रतिवादीगण :

1. अध्यक्ष,
   पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
   दॅ माल, निकट काली बाड़ी मंदिर
   पटियाला - 147 001 (पंजाब)

2. अध्यक्ष
   हरियाणा विद्युत जनोपयोगी सेवाएं (यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल), शक्ति भवन, सेक्टर–6, पंचकूला (हरियाणा)

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड,
बीएसईएस भवन,
नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–10019

4. अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड
शक्ति भवन, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001 (उत्तर प्रदेश)

5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
शक्तिकिरण बिल्डिंग, कडकडडूमा,
दिल्ली - 110072

6. मुख्य अभियंता एवं सचिव,
इंजीनियरी विभाग, पहली मंजिल,
यूटी सचिवालय, सेक्टर-9डी,
चंडीगढ़-16009

5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तरी दिल्ली विद्युत लिमिटेड,
उप स्टेशन बिल्डिंग,
हडसन लेन, किंग्सवे कैम्प,
दिल्ली-110009

6. अध्यक्ष
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (जेपीवीवीएनएल), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.(जेडीवीवीएनएल)
अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (एवीवीएनएल), विद्युत भवन, जनपथ,
ज्योति नगर, जयपुर-302 005 (राजस्थान)

7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि.
(टाटा पावर और दिल्ली सरकार का संयुक्त उद्यम)
उत्तरी दिल्ली विद्युत लिमिटेड,
उप स्टेशन बिल्डिंग,
हडसन लेन, किंग्सवे कैम्प,
नई दिल्ली-110009

8. प्रबंध निदेशक,
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
विद्युत भवन, जनपथ,
जयपुर-302005

9. प्रबंध निदेशक,
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नया पावर हाउस,
औद्योगिक क्षेत्र,

10. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड, ऊर्जा भवन, कनवाली रोड,
देहरादून-248001 (उत्तराखंड)

जोधपुर - 342003 (राजस्थान)

11. प्रबंध निदेशक,
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पुराना पावर हाउस,
हाथी भट्ठा, जयपुर रोड,
अजमेर -305 001 (राजस्थान)

12 मुख्य अभियंता एवं सचिव,
इंजीनियरी विभाग, प्रथम तल,
यूटी सचिवालय, सेक्टर-9डी, चंडीगढ़-160009

13. प्रधान सचिव,
विद्युत विकास विभाग, नया सचिवालय, जम्मू - 180001(जम्मू एवं कश्मीर)

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियमावली, 1999 के विनियम 79(1) और 86, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 के विनियम 6(2) और 9(2) तथा इनके उत्तरवर्ती संशोधनों और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 के विनियम 7(3) और 14(3) के अंतर्गत याचिका

<u>सादर निवेदन किया जाता है कि:</u>

भाग क : 2009-14 के लिए पूंजीगत व्यय को सही करना

I. एनएचपीसी लिमिटेड, जिसे इसमें आगे 'एनएचपीसी' कहा गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थ में भारत सरकार की एक कंपनी है। इसके अलावा, यह, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2(28) के अंतर्गत यथापरिभाषित एक 'उत्पादन कंपनी'है।

II. सेवा-।। पावर स्टेशन (जिसे इसमें आगे 'सेवा -।।'/'पावर स्टेशन' कहा गया है) (3X40 = 120 मेगा वाट) कहा गया है, जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है, को 24.07.2010 को वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित कर दिया गया है।

III. एनएचपीसी ने सेवा-।। का निर्माण किया और इसके वाणिज्यिक प्रचालन के आरंभ से इसका प्रचालन तथा अनुरक्षण कर रहा है। इस विद्युत केंद्र से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति, उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न थोक विद्युत लाभग्राहियों/ ग्राहकों/ उत्तरवर्ती जनोपयोगी सेवाओं को अर्थात उनके साथ हस्ताक्षर किए गए विद्युत खरीद करार (पीपीए)/बीपीएसए के अनुसार की जा रही है।

IV. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 में, किसी उत्पादन कंपनी द्वारा किसी वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत की आपूर्ति के लिए समुचित आयोग द्वारा प्रशुल्क के निर्धारण का उपबंध है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(क) के अंतर्गत माननीय आयोग में यह क्षेत्राधिकार निहित है कि वह केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित या उसके स्वामित्व वाली उत्पादन कंपनियों का प्रशुल्क विनियमित करे।

V. प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन तारीख अर्थात 01.03.2010 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए सेवा-।। पावर स्टेशन की प्रशुल्क याचिका, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 के विनियम-5 और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निर्धारण के लिए आवेदन करने, आवेदन के प्रकाशन और अन्य संबंधित मामलों की प्रक्रिया) विनियमावली, 2004 और इसके उत्तरवर्ती संशोधनों के अनुसार 24.02.2010 को याचिकाकर्ता द्वारा याचिका दायर की गई है।

VI. तथापि, यह परियोजना 01.03.2010 को वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित नहीं की जा सकी।

VII. इकाई संख्या ।, ।। और ।।। को क्रमश: 29.06.2010, 24.07.2010 और 02.07.2010 को वाणिज्यिक प्रचालनाधीन घोषित किया गया।

VIII. याचिका सं. 57/2010 और 22.09.2010 को इसके उत्तरवर्ती संशोधन में माननीय आयोग ने अपने दिनांक 06.09.2010 के आदेश के अंतर्गत दिनांक 01.03.2010 को यथास्थिति इस परियोजना की प्रत्याशित पूंजीगत लागत के आधार पर 2009-14 की अवधि के लिए प्रशुल्क की अनुमति प्रदान कर दी थी। प्रशुल्क की अनुमति देते समय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 66.75 करोड़ रुपए की अनुन्मोचित देयता को छोड़कर, 983.61 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत पर विचार किया।

IX. 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान उपर्युक्त आदेश के अंतर्गत माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित प्राक्कलित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय क्रमश: 7310.07 लाख रुपए, 105.67 लाख रुपए, 30.00 लाख रुपए और 20.00 लाख रुपए है, जिसमें 2010-11 के दौरान 713.00 लाख रुपए का आस्थगित कार्य और 2010-11 के दौरान 66.75 लाख रुपए की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख की देयता का उन्मोचन शामिल है।

X. वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान उपर्युक्त आदेश के अंतर्गत माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित एएफसी क्रमश: 16.10 करोड़ रुपए, 193.72 करोड़ रुपए, 196.15 करोड़ रुपए, 191.81 करोड़ रुपए और 187.90 करोड़ रुपए था।

XI. वर्तमान आवेदनपत्र, प्रशुल्क अवधि 2009-14 के वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान एनएचपीसी द्वारा किए गए व्यय की तुलना में अनुमत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय और वाणिज्यिक प्रचालन तारीख को पूंजीगत लागत का सत्यापन करने के लिए दाखिल किया गया है।

XII. वर्तमान याचिका, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 के विनियम 6 और 9 के अनुसार है, जिसे यहां नीचे प्रत्युत्पादित किया जाता है:

"6. <u>पूंजीगत व्यय और प्रशुल्क को सही करना:</u>

(1) आयोग, इसे सही करने के समय विवेक पूर्ण जांच के पश्चात आयोग द्वारा स्वीकार किए गए अनुसार 31.03.2014 तक किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय सहित पूंजीगत व्यय के संबंध में अगली प्रशुल्क अवधि के लिए दायर की गई प्रशुल्क याचिका के साथ-साथ सही करने का कार्य करेगा।

बशर्ते कि उत्पादन कंपनी या संचरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, स्व-विवेक पर प्रशुल्क के संशोधन के लिए 2013-14 से पहले एक और बार आयोग के समक्ष आवेदन कर सकता है।

(2) उत्पादन कंपनी या संचरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, 31.10.2014 तक उत्पादन केंद्र एक इकाई या उसके ब्लॉक या संचरण प्रणाली या संचरण लाइनों या उसके उप-केंद्रों के संबंध में सही करने का कार्य करने के लिए इन विनियमों के परिशिष्ट-1 के अनुसार आवेदन करेगा।

(3) उत्पादन कंपनी या संचरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित और प्रमाणित 01.04.2009 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय और पूंजीगत व्यय के ब्योरे सही करने के उद्देश्य के लिए निवेदन करेगा।"'

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 के विनियम 9 का सुसंगत सार नीचे उदद्धृत किया जाता है:

"9. (1) *वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पश्चात और विच्छेदन तारीख तक कार्य के मूल दायरे के अंदर निम्नलिखित कारणों से, खर्च किए जाने के लिए*

प्रक्षेपित या किए गए पूंजीगत व्यय को विवेकपूर्ण जांच की शर्त के अधीन कृपया आयोग द्वारा स्वीकार किया जाए:

(i) अनुन्मोचित देयताएं;

(ii) निष्पादन के लिए आस्थगित निर्माण कार्य.

(iii) विनियम 8 के उपबंधों की शर्त के अधीन निर्माण कार्य के मूल दायरे के अंदर आरंभिक पूंजीगत हिस्से-पुर्जों का प्रापण;

(iv) किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन के लिए या मध्यस्थता के अवार्ड को पूरा करने के लिए देयताएं;

(v) कानून में परिवर्तन.....

बशर्ते कि व्यय के अनुमानों, अनुन्मोचित देयताओं और निष्पादन के लिए आस्थगित निर्माण कार्य के साथ कार्य के मूल दायरे में शामिल निर्माण कार्यों के ब्योरे, प्रशुल्क के निर्धारण हेतु आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।"

"9. (2) *विच्छेदन तारीख के पश्चात निम्नलिखित कारणों से किया गया पूंजीगत व्यय स्व-विवेक पर, विवेकपूर्ण जांच की शर्त के अधीन स्वीकार किया जा सकता है :*

(i) मध्यस्थता के अवार्ड को पूरा करने या किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन के लिए देयताएं;

(ii) कानून में परिवर्तन;

(iii) .....;

(iv) हाइड्रो उत्पादन केंद्रों के मामले में कोई व्यय, जो किसी बीमा योजना से प्राप्त धनराशि का समायोजन करने के पश्चात भूगर्भीय कारणों सहित और किसी अतिरिक्त कार्य, जो सफल और दक्ष संयंत्र प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया है, सहित प्राकृतिक आपदाओं से पहुंची क्षति (परंतु जिसे उत्पादन कंपनी की लापरवाही के कारण हुआ माना जा सकता है, पावर हाउस के आप्लावन के कारण नहीं) के

कारण आवश्यक हो गया और किसी अतिरिक्त कार्य के कारण किया गया व्यय, जो सफल और दक्ष संयंत्र प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया है; और

.....;

बशर्ते कि ऊपर उप-खंड (iv) और (v) के संबंध में, विच्छेदन तारीख के पश्चात लाई गई लघु मदें या परिसंपत्तियां जैसे औजार और साज-सामान, फर्नीचर, एयरकंडीशनर, वोल्टेज स्टैबिलाइजर, रेफ्रिजरेटर, कूलर, पंखे, वाशिंग मशीनें, हीट कनवेक्टर, गद्दे, कालीन आदि अर्जित करने पर होने वाले किसी व्यय को 01.04.2009 से प्रशुल्क के निर्धारण हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण नहीं माना जाएगा।''

XIII. आकस्मिक देयताओं, जिसकी धनराशि 102.754 करोड़ रुपए है, को छोड़कर परियोजना की पूर्णता लागत 1108.83 करोड़ रुपए निकाली गई है, जिसे 26.11.2010 को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है **(अनुबंध-IV)**।

XIV. प्रशुल्क के उद्देश्य के लिए इकाई-वार पूंजीगत लागत निम्नलिखित रूप में निकाली गई है:

(करोड़ रुपए)

इकाइयां	**वाणिज्यिक प्रचालन तारीख**	**पूंजीगत लागत***
इकाई # I	29.06.2010	361.52
इकाई # I और III	02.07.2010	720.16
इकाई # I, II और III	24.07.2010	1079.17

* देयता को छोड़कर

XV. प्रशुल्क के उद्देश्य के लिए 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान निवल अतिरिक्त पूंजीकरण निम्नलिखित रूप में निकाला गया है:

(लाख रुपए)

वर्ष	दिनांक 06.09.10 के आदेश के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमत अतिरिक्त पूंजी	वर्तमान सत्यापन याचिका में वास्तविक अतिरिक्त पूंजी
2010-11	7319.07	1524.08
2011-12	105.67	1247.50
2012-13	30.00	2227.02
2013-14	20.00	1370.31

XVI. कुछ ऐसे निर्माण कार्य हैं, जिनका दावा याचिका सं.57/2010 में अतिरिक्त पूंजी के अंतर्गत नहीं किया गया था और जो उत्पादन केंद्रों के प्रचालन के लिए आवश्यक हो गए हैं। ये निर्माण कार्य पावर स्टेशन की आवश्यकता के अनुसार आरंभ किए गए हैं। इस बाबत पूंजीगत व्यय और ये निर्माण कार्य करने का विस्तृत औचित्य दावे में शामिल कर लिया गया है।

XVII. ऐसे स्वरूप की परिसंपत्तियों का विलोप, जिन्हें केंद्रीय विद्युत आयोग प्रशुल्क नियमावली, 2009 के उपबंधों के अनुसार पूंजीकृत किए जाने की अनुमति नहीं है (ऊपर पैरा VIII देखें), भी वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अलग से रखे गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि केवल पुरानी परिसंपत्तियों पर प्राप्त हुई धनराशि से नई परिसंपत्तियां खरीद जाएंगी। यह व्यवस्था, अतिरिक्त पूंजी संबंधी याचिका 190/2009 में दिनांक 07.09.2010 के आदेश में माननीय आयोग के अवलोकन के अनुरूप है, जोकि निम्नलिखित है:

"20. सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात हमारा मत है कि परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में मूलत: शामिल की गईं और नई परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिस्थापित लघु परिसंपत्तियों की लागत, सकल ब्लॉक से कम नहीं की जानी चाहिए, यदि विनियमों के प्रभाव के कारण नई परिसंपत्तियों की लागत पर विचार नहीं किया जाता। दूसरे शब्दों में, पुरानी पंरिसंपत्तियों का मूल्य, सकल ब्लॉक का भाग बना रहेगा और साथ ही साथ नई परिसंपत्तियों की लागत को हिसाब में नहीं

लिया जाएगा। उत्पादन केंद्र को, लघु परिसंपत्तियों के प्रापण के कारण मूलत: नियोजित पूंजी की सर्विसिंग से विवर्जित नहीं किया जाना चाहिए, यदि उन परिसंपत्तियों को सेवाएं उसी प्रकार की ऐसी परिसंपत्तियों द्वारा प्रदान की जा रही हैं, जो सकल ब्लॉक का भाग नहीं हैं।''

XVIII. 2009-14 प्रशुल्क अवधि में भी केंद्रीय विद्युत आयोग द्वारा उसी दृष्टिकोण अर्थात लघु परिसंपत्तियों के विलोप को शामिल करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में दिनांक 18.02.2014 के प्रशुल्क आदेश (याचिका संख्या 142/2013) में माननीय आयोग का अवलोकन निम्नलिखित है:

*''29. हमने पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार किया है। 2004 और 2009 दोनों की प्रशुल्क विनियमावली में उपबंध किया गया है कि विच्छेदन तारीख के पश्चात लाई गई लघु मदों/ परिसंपत्तियों, औजारों और **साज-सामान** आदि पर किए गए व्यय पर, प्रशुल्क के निर्धारण के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विनियमों के प्रभाव के कारण, लघु स्वरूप की नई परिसंपत्तियों पर पूंजीकरण हेतु विचार नहीं किया जाता, आयोग ने अपने दिनांक 07.09.2010 के आदेश में यह निष्कर्ष दिया था कि पुरानी परिसंपत्तियों का मूल्य सकल ब्लॉक का भाग बना रहेगा और साथ ही साथ नई परिसंपत्तियों की लागत हिसाब में नहीं ली जाएगी। हमारे विचार से इस मामले में, विनियमों के उपबंधों कारण लघु परिसंपत्ति के पूंजीकरण से मना कर दिए जाने पर उत्पादन केंद्र को, नई परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिस्थापित और परियोजना की पूंजीगत लागत में मूलत: शामिल की गई लघु परिसंपत्तियों की लागत की सर्विसिंग से विवर्जित नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार दिनांक 07.09.2010 के आदेश में दिए गए निर्णय के अनुरूप और सुसंगतता के उद्देश्य के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए लघु परिसंपत्तियों के विलोप की तदनुरूपी नकारात्मक प्रविष्टियों को प्रशुल्क के उद्देश्य के लिए शामिल न किए जाने/अस्वीकार कर दिए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना की गई है।.....''*

XIX. याचिकाकर्ता ने संशोधित एएफसी का परिकलन किया है। वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (प्रशुल्क के उद्देश्य के लिए विचारित) के लिए संशोधित एएफसी क्रमश: **165.83 करोड़ रुपए, 220.20 करोड़ रुपए, 209.66 करोड़ रुपए और 216.74 करोड़ रुपए** निकलता है **(अनुबंध-। का फार्म-1 देखें)**।

XX. उपर्युक्त प्रशुल्क, उत्पादन केंद्रों से संबद्ध और/या संचरण प्रणाली पर होने वाली संस्थापनाओं में से किसी संस्थापना के संबंध में और/या जल, विद्युत के संचरण, पर्यावरणीय संरक्षण, विद्युत/ऊर्जा की बिक्री और/या आपूर्ति सहित, अतिरिक्त खपत या अन्य प्रकार की किसी खपत सहित बिजली के उत्पादन के संबंध में किसी सरकार (केंद्र/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकायों/ प्राधिकरणों/ विनियामक प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए किसी सांविधिक करों, उद्ग्रहणों, शुल्कों, उप-कर, प्रभारों या किसी अन्य प्रकार के अधिरोपण (अधिरोपणों) को छोड़कर हैं।

XXI. ऊपर यथाउल्लिखित उक्त करों/ शुल्कों/ उप-कर/ उद्ग्रहणों/ प्रभारों आदि की बाबत किसी महीने में संबंधित प्राधिकारियों को एनएचपीसी द्वारा भुगतानयोग्य ऐसे करों/ शुल्कों/ उप-कर/ उद्ग्रहणों/ प्रभारों आदि की धनराशि प्रतिवादियों द्वारा वहन की जाएगी और उनके द्वारा भुगतानयोग्य वार्षिक क्षमता प्रभारों के अनुपात में एनएचपीसी को प्रतिवादियों द्वारा इसका अतिरिक्त रूप में भुगतान किया जाएगा।

XXII. आस्थगित देयता के उन्मोचन और निवल अतिरिक्त पूंजीकरण (प्रशुल्क के उद्देश्य के लिए विचारित) की बाबत कुल एएफसी, वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमश: **165.83 करोड़ रुपए, 220.20 करोड़ रुपए, 209.66 करोड़ रुपए और 216.74 करोड़ रुपए** निकलता है, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 के विनियम 6 के खंड (4), (5) और (6) और उनके उत्तरवर्ती संशोधनों के उपबंधों के अनुसार लाभग्राहियों से/को वसूल किए जाने/लौटाए जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

XXIII. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 के विनियम 6 के खंड (4), (5) और (6) और उनके उत्तरवर्ती संशोधनों के उपबंध निम्नलिखित रूप में उद्धृत किए जाते हैं:

"6. पूंजीगत व्यय और प्रशुल्क को सही करना।

(4) जहां सही करने के पश्चात वसूल किया गया प्रशुल्क, इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क से अधिक हो जाता है, उत्पादन कंपनी या संचरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, इस विनियम के परंतुक में विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज के साथ, वसूल की गई अधिक धनराशि लाभग्राहियों या संचरण ग्राहकों, जैसा भी मामला हो, को लौटाएगी।

(5) जहां सही करने के पश्चात वसूल किया गया प्रशुल्क, इन विनियमों के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क से कम है, उत्पादन कंपनी या संचरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, इस विनियम के परंतुक में विनिर्दिष्ट दर पर साधारण ब्याज के साथ कम वसूल की गई धनराशि लाभग्राहियों या संचरण ग्राहकों से, जैसा भी मामला हो, वसूल करेगा।

(6) इस विनियम के परंतुक में विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज के साथ कम वसूल की गई या अधिक वसूल की गई धनराशि, सही करने के कार्य के पश्चात आयोग द्वारा जारी किए गए प्रशुल्क आदेश की तारीख से 3 महीने के अंदर आरंभ करके 6 समान मासिक किस्तों में उत्पादन कंपनी या संचरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा वसूल की जाएगी या लौटाई जाएगी।

बशर्ते कि साधारण ब्याज का परिकलन करने हेतु इस विनियम के खंड (4), (5) और (6) के लिए ब्याज की दर निम्नलिखित रूप में मानी जाएगी:

(i) वर्ष 2009-10 के लिए 01.04.2009 को यथास्थिति भारतीय स्टेट बैंक की अल्पकालिक प्राइम ऋणद दर।

(ii) वर्ष 2010-11 के लिए 01.07.2010 को यथास्थिति भारतीय स्टेट बैंक की आधारभूत दर जमा 350 आधार पॉइंट्स।

(iii) *01.07.2010 से 31.03.2011 तक मासिक औसत भारतीय स्टेट बैंक की आधारभूत दर जमा वर्ष 2011-12 के लिए 350 आधार पॉइंट्स।*

(iv) *पिछले वर्ष के दौरान मासिक औसत भारतीय स्टेट बैंक की आधारभूत दर जमा वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए 350 आधार पॉइंट्स।*

XXIV. कुछ ऐसे प्राक्कलित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय हैं, जिनका दावा कर लिया गया है और वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 में स्वीकार कर लिया गया है परंतु याचिकाकर्ता 2009-14 की अवधि के दौरान उपर्युक्त व्यय करने में समर्थ नहीं था। इन व्ययों की पूंजीकरण के लिए अनुमति प्रदान की जाए, जब कभी उन्हें वास्तव में खर्च किया जाता है और प्रशुल्क अवधि 2014-19 के दौरान आवश्यकता के अनुसार इन्हें पूंजीकृत किया जाता है।

<u>भाग-ख : 2014-19 के लिए प्रशुल्क याचिका</u>

I. 2014-19 की अवधि के लिए एएफसी को सही करने और 31.03.2014 को यथास्थिति पूंजीगत लागत को अंतिम रूप देने के उपरांत एनएचपीसी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग प्रशुल्क विनियामवली, 2014 के अनुसार 2014-19 की अवधि के लिए (प्रक्षेपित अतिरक्त पूंजी के आधार पर) प्रशुल्क याचिका दायर करेगा। तदनुसार 2014-19 की अवधि के लिए प्रशुल्क याचिका निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है:

II. प्रशुल्क अवधि 2009-14 के वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन तारीख को लागत और अतिरिक्त पूंजी को सही करने का विवरण **अनुबंध-I** के रूप में इस याचिका के साथ संलग्न है।

III. प्रशुल्क याचिका का भाग-ख, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग प्रशुल्क विनियामवली, 2014 के विनियम 7 और 14 के अनुसार तैयार की गई है, जो निम्नलिखित रूप में उद्धृत किए जाते हैं:

क. *"7(3) संसूचन प्रणाली या उसके घटक सहित वर्तमान उत्पादन केंद्र या संचरण प्रणाली के मामले में आवेदन, 31.03.2014 तक पहले ही स्वीकार किए गए किसी अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (या तो वास्तविक या प्राक्कलित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (या तो **वास्तविक** या **प्रक्षेपित** अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के आधार पर) और 2014-15 से 2018-19 तक की प्रशुल्क अवधि के संबंधित वर्षों के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय सहित स्वीकार की गई पूंजीगत लागत के आधार पर इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से अधिक से अधिक 180 दिन के अंदर किया जाएगा।"*

ख. *"14(3) **विच्छेदन तारीख के पश्चात** निम्नलिखित कारणों से, किया गया या किए जाने के लिए प्रक्षेपित, संसूचन प्रणाली सहित वर्तमान उत्पादन केंद्र या संचरण प्रणाली के संबंध में **पूंजीगत व्यय** विवेकपूर्ण जांच की शर्त के अधीन आयोग द्वारा स्वीकार किया जा सकता है:*

(i) *किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के अनुपालन के लिए या मध्यस्थता के अवार्ड को पूरा करने के लिए देयताएं;*

(ii) *किसी वर्तमान कानून का अनुपालन या कानून में परिवर्तन;*

(iii) *राष्ट्रीय सुरक्षा/आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सांविधिक प्राधिकरणों की समुचित सरकारी एजेंसियों द्वारा दी गई सलाह या निर्देश के अनुसार संयंत्र की सुरक्षा और उच्चतर सुरक्षा की आवश्यकता के कारण किए जाने वाले कोई खर्च;*

(iv) *कार्य के मूल दायरे में राख के तालाब या राख हैंडलिंग प्रणाली से संबंधित आस्थगित निर्माण कार्य;*

(v) *ऐसी अनुन्मोचित देयता, पैकेज की कुल अनुमानित लागत के ब्योरों की विवेकपूर्ण जांच के पश्चात विच्छेदन तारीख से पहले निष्पादित किए गए निर्माण कार्य के लिए कोई देयता, इस प्रकार भुगतान रोकने और ऐसे भुगतान जारी करने आदि के कारण;*

(vi) *वास्तविक भुगतानों द्वारा ऐसी देयताओं के उन्मोचन करने की सीमा तक विच्छेदन तारीख के पश्चात आयोग द्वारा स्वीकार की गई निर्माण कार्य की कोई देयता;*

(vii) *कोई ऐसा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जो कोयला/लिग्नाइट आधारित स्टेशनों या संचरण प्रणाली, जैसा भी मामला हो, के अलावा उत्पादन केंद्र के दक्ष प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया हो। इस दावे की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थित तकनीकी औचित्य से की जाएगी जैसे परिसंपत्तियों के नष्टीकरण के मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए परीक्षण के परिणाम, प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति के मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी की रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी का अप्रचलन, तकनीकी कारण से क्षमता का उन्नयन जैसे दोष के स्तर में वृद्धि;*

(viii) *हाइड्रो उत्पादन केंद्रों के मामले में कोई ऐसा व्यय, जो प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हुई क्षति के कारण (परंतु उत्पादन कंपनी की लापरवाही के कारण माने जा सकने वाले, पावर हाउस के आप्लावन के कारण न हो) और किसी बीमा योजना से प्राप्त बिक्री की धनराशि का समायोजन करने के पश्चात भू-गर्भीय कारणों से आवश्यक हो गया है और किसी अतिरिक्त कार्य के कारण किया गया खर्च, जो सफल और दक्ष संयंत्र प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया हो।*

(ix) *संचरण प्रणाली के मामले में, रिलेज, नियंत्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर प्रणाली, पावर लाइन कैरियर संसूचन, डी सी बैटरियां, प्रौद्योगिकी के अप्रचलन के कारण प्रतिस्थापन, दोष के स्तर में वृद्धि के कारण स्विच यार्ड उपकरण का प्रतिस्थापन, टावर का सशक्तीकरण, संसूचन उपकरण, आपातकालिक पुनर्स्थापन प्रणाली, इंसुलेटर अवसंरचना, पॉलिमर इंसुलेटरों से पोर्सेलेन इंसुलेटर का प्रतिस्थापन, बीमा द्वारा कवर न किए गए क्षतिग्रस्त उपकरण का प्रतिस्थापन जैसी मदों पर किया गया कोई अतिरिक्त व्यय और कोई अन्य व्यय, जो संचरण प्रणाली के सफल और दक्ष प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया हो; और*

(x) *उत्पादन केंद्र के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप थर्मल उत्पादन केंद्र के संबंध में पूर्ण कोयला संबद्धता के अनुरूप कोयले की आपूर्ति को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण उत्पन्न ईंधन प्राप्ति प्रणाली में अपेक्षित या किए गए संशोधनों के कारण आवश्यक विवेकपूर्ण जांच के पश्चात न्यायोचित पाया गया कोई पूंजीगत व्यय।*

ग. *बशर्ते कि वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के पश्चात लाए गए औज़ारों और साज-सामान, फर्नीचर, एयरकंडीशनरों, वोल्टेज स्टैबिलाइजरों, रेफ्रिजरेटरों, कूलरों, कंप्यूटरों, पंखों, वाशिंग मशीनों, हीट कनवेक्टरों, गद्दों, कालीनों आदि सहित परिसंपत्तियां या लघु मदें प्राप्त करने पर हुए किसी खर्च को*

01.04.2014 से प्रशुल्क के निर्धारण के लिए कोई अतिरिक्त पूंजीकरण नहीं माना जाएगा।

घ. बशर्ते यह भी कि कोयला/लिग्नाइट आधारित स्टेशन के मामले में ऊपर (i) से (iv) में विनिर्दिष्ट स्वरूप के व्यय के अलावा, किसी पूंजीगत व्यय की पूर्ति मुआवजा भत्ते से की जाएगी।

ङ. बशर्ते यह भी कि यदि किसी व्यय का दावा पुनरुद्धार; और आधुनिकीकरण (आर एंड एम), ओ एंड एम व्यय के अंतर्गत मरम्मत और रखरखाव तथा मुआवजे भत्ते के अंतर्गत किया गया है तो इस व्यय का दावा इस विनियम के अंतर्गत नहीं किया जा सकता।''

IV. 31.03.2014 को यथास्थिति पूंजीगत लागत अर्थात **114285.94 लाख रुपए** को प्रशुल्क अवधि 2014-19 के लिए आधारभूत लागत मान लिया गया है।

V. इसके अलावा, वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता ने **अनुबंध-I** में वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय को सही करने का दावा किया है और इसके आंकड़ों का इस्तेमाल, 2014-19 की अवधि के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु किया गया है।

VI. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी समर्थकारी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए माननीय आयोग ने दिनांक 21.02.2014 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 जारी की है, जो 01.04.2014 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू है।

VII. वर्तमान याचिका, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 में यथाविनिर्धारित प्रशुल्क दाखिल करने के फार्म 1 से 16 में और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निर्धारण के लिए

आवेदन करने, प्रकाशन और अन्य संबंधित मामलों की प्रक्रिया) विनियमावली, 2004 के अनुसार दायर की जा रही है।

VIII. इस याचिका में विचारित प्रशुल्क वर्षों 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए प्राक्कलित पूंजीगत व्यय के ब्योरे फार्म-9 में दिए गए हैं (**अनुबंध-V का फार्म-9**)।

IX. केंद्रीय विद्युत विनियमावली आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2014 पर आधारित, 01.04.2011 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए सेवा-।। के संबंध में परिकलित वार्षिक निर्धारित प्रभार (एएफसी) निम्नलिखित है: (**अनुबंध-V का फार्म-1 देखें)**।

(करोड़ रुपए)

वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
एएफसी	254.85	254.01	252.34	250.87	248.98

X. उपर्युक्त प्रशुल्क, उत्पादन केंद्रों से संबद्ध और/या संचरण प्रणाली पर होने वाली संस्थापनाओं में से किसी संस्थापना के संबंध में और/या जल, विद्युत के संचरण, पर्यावरणीय संरक्षण, विद्युत/ऊर्जा की बिक्री और/या आपूर्ति सहित, अतिरिक्त खपत या अन्य प्रकार की किसी खपत सहित बिजली के उत्पादन के संबंध में किसी सरकार (केंद्र/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकायों/ प्राधिकरणों/ विनियामक प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए किसी सांविधिक करों, उद्ग्रहणों, शुल्कों, उप-कर या किसी अन्यप्रकार के अधिरोपण (अधिरोपणों) को छोड़कर हैं।

XI. ऊपर यथाउल्लिखित उक्त करों/ शुल्कों/ उप-कर/ उद्ग्रहणों/ प्रभारों आदि की बाबत किसी महीने में संबंधित प्राधिकरणों को एनएचपीसी द्वारा भुगतानयोग्य ऐसे कर/ शुल्क/ उप-कर/ उगाहियां/ प्रभार आदि, उनके द्वारा भुगतानयोग्य वार्षिक क्षमता

प्रभारों के अनुपात में एनएचपीसी को प्रतिवादियों द्वारा अतिरिक्त रूप से वहन किए जाएंगे और उनका भुगतान किया जाएगा।

XII. वर्ष 2014-15 के लिए **5,28,000/- रुपए** का याचिका दायर करने का शुल्क, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (शुल्क का भुगतान) विनियमावली, 2012 के अनुसार यूटीआर सं; एसबीआई814118294514 के जरिए पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित कर दिया गया है और दिनांक 29.04.2014 के पत्र के अंतर्गत इसकी सूचना केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को दे दी गई है। पत्र की प्रति **अनुबंध- VI** के रूप में संलग्न है।

प्रार्थना

1. 01.04.2009 से 31.03.2914 तक की अवधि के लिए सेवा-।। पावर स्टेशन का प्रशुल्क, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) के अंतर्गत और 19.01.2009 को जारी की गई केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 के विनियम 6(2) के अनुसार निर्धारित किया जाए।

2. सेवा-।। पावर स्टेशन के वार्षिक निर्धारित प्रभार (एएफसी), ऊपर **पैरा-XXII (भाग-क)** में यथा उल्लिखित, वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमश: **165.83 करोड़ रुपए, 220.20 करोड़ रुपए, 209.66 करोड़ रुपए और 216.74 करोड़ रुपए** परिकलित किए गए हैं। एएफसी में आया यह अंतर, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2009 और उसके उत्तरवर्ती संशोधनों में माननीय आयोग द्वारा पहले ही अधिसूचित तरीके से प्रतिवादियों से/को वसूल किए जाने/लौटाए जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

3. 01.04.2014 से 31.03.2919 तक की अवधि के लिए सेवा-।। पावर स्टेशन का प्रशुल्क, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(क) के अंतर्गत और 21.02.2014 को जारी की गई केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली, 2003 के विनियम 7(3) के अनुसार निर्धारित किया जाए।

4. **फार्म-1 (अनुबंध-V)** के अनुसार वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए क्रमश: **254.85 करोड़ रुपए, 254.01 करोड़ रुपए, 252.34 करोड़ रुपए, 250.87 करोड़ रुपए और 248.98 करोड़ रुपए** की धनराशि, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमावली,

2014 में माननीय आयोग द्वारा पहले ही अधिसूचित तरीके से बिल दिए जाने और प्रतिवादियों द्वारा भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

5. एनएचपीसी को यह अनुमति प्रदान की जाए कि वह ऊपर **पैरा XXI (भाग-क)** और **पैरा XI (भाग-ख)** में यथाउल्लिखित उद्ग्रहणों, करों, शुल्कों, उप-कर, प्रभारों, फीस, आदि, यदि कोई है, के लिए प्रतिवादियों को बिल दें।

6. ऐसी परिसंपत्तियों के विलोप के अपवर्जन की अनुमति प्रदान की जाए जिन पर, ऊपर **पैरा XVII (भाग-क)** में यथाउल्लिखित अभिवर्धन के रूप में केंद्रीय विद्युत विनियमावली आयोग द्वारा नहीं माना गया है।

7. ऊपर **पैरा XII (भाग-ख)** में यथाउल्लिखित, यह याचिका दायर करनेके शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान की जाए।

8. 2014-19 की अवधि के लिए प्रशुल्क के आवेदन में नोटिसों के प्रकाशन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान की जाए।

9. ऐसा अन्य और अगला/अगले आदेश पारित किया जाए/किए जाएं, जो इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे जाएं।

एनएचपीसी लिमिटेड

(ए.के. पांडे)
मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक)
के माध्यम से

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 13.08.2014